प्रकरण संख्या 06/2024 केशवलाल व अन्य बनाम भेमजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के खाते की आराजी नंबर 407/2 रकबा 0.1052 एवं आराजी नंबर 408/2 रकबा 0.0647 हैक्टर एवं प्रार्थी संख्या 2 के खाते की आराजी नंबर 420 व 421 रकबा क्रमशः 0.2832 हैक्टर व 0.2751 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 3 के खाते की आराजी नंबर 419 रकबा 0.1699 हैक्टर भूमि ग्राम सुरवानिया स्थित है। उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु प्रार्थीगण पुश्तैनी समय से सालिया–सियापुर बांसवाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग की आराजी नंबर 413 व 415 की मेड़ से होकर परम्परागत रास्ते का निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। खसरा नंबर 413 अप्रार्थी रमेशचन्द्र व भरत टेलर ने विक्रय किया है तथा खसरा नंबर 415 व 416 अप्रार्थी शिवशंकर की पत्नी श्रीमती कला एवं भेमजी की पत्नी श्रीमती बबली के नाम से है। क्रय करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 भेमजी खसरा नंबर 415 व 416 की मेड़ से प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु बिना रूकावट के आवगमन की सहमति प्रदान की जो मैंने स्वीकार कर ली, परन्तु जून 2002 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने खसरा नंबर 413, 415 व 416 की पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण जाने वाले रास्ते को भी अपने खेत में शामिल कर आगे रास्ते में सीमेन्ट के पोल व तार लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है तथा अप्रार्थीगण ने आराजी नंबर 417 पर भी कब्जा कर लिया है। अतः आराजी नंबर 413, 415 के मध्य तथा खसरा नंबर 415 व 416 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण मार्ग पर रास्ते को खुलवाया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया तथा बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार न्यायालय में पोषणीय है न कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना मानते हुए दिनांक 15.07.2024 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सें 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर सम्पूर्ण रास्ते को बन्द कर दिया गया है, जिससे अपीलान्ट/प्रार्थीगण के खेतों पर आने-जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अपीलान्टगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना मानकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2024 अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कायम किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलान्टगण द्वारा रास्ता चाहा गया है, जो फोटोग्राफ से स्पष्ट है। अपीलान्टगण द्वारा जो धारा 251 ए रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह तहसीलदार न्यायालय में पोषणीय है, न कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। तहसीलदार बांसवाड़ा की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023 के बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट अंकित है कि तारबन्दी होने के कारण जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है, जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी किया है तथा यह भी अंकित किया है कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में आराजी नंबर 419, 420, 421, 407/2, 408/2 में जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना नहीं बताया है, जिससे तहसीलदार की रिपोर्ट में कौन सा रास्ता दिया जाना है, स्पष्ट है। उक्त अंकन करने के बावजूद अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ. मार्गाधिकार का होने से उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पोषणीय नहीं माना है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1003 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार राजस्व उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पोषणीय है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 66/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार बांसवाड़ा से मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति रा...)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested